प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 16.04.2025**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना नगीना पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या करने वाले आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 07.09.2022 को वादी तेजपाल पुत्र रामप्रसाद सिंह निवासी ग्राम मिर्जाअलीपुर भारा उर्फ कुतोपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि अभियुक्त टीकम पुत्र रामबहादुर निवासी ग्राम मिर्जा अलीपुर भारा उर्फ कुत्तोपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने वादी के भाई चमन प्रकाश के सिर में लोहे की रोड मार दी जिससे वादी के भाई का सिर फट गया व अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गयी। तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 295/22 धारा 302 भादवि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 16.04.2025 को मा0 न्यायालय A.D.J. नगीना द्वारा मु0अ0सं0 295/22 धारा 302 भादवि के अभियुक्त टीकम पुत्र रामबहादुर निवासी ग्राम मिर्जा अलीपुर भारा उर्फ कुत्तोपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर उपरोक्त को आजीवन कारावास व 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- टीकम पुत्र रामबहादुर निवासी ग्राम मिर्जा अलीपुर भारा उर्फ कुत्तोपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह दिनांक – 16.04.2025

"अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह" के क्रम में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से निबन्ध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा स्कूली छात्र/छात्राओं को अग्नि सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरुक किया गया।

अग्निशमन सेवा सप्ताह के अन्तर्गत आज दिनांक 16.04.2025 को विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में छात्र/छात्राओ के मध्य अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु एक निबन्ध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया जिसका विषय था **"Unite to Ignite, a fire safe India" "एकजुट हों, अग्नि सुरक्षित भारत को प्रज्वलित करें।"** तथा जनपद के समस्त प्रभारी अग्निशमन केंद्रो द्वारा भूखंडीय भवन, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, सभागारों, स्थानीय बाजार एवं ग्रामीण अंचलों, आदि में अग्नि सुरक्षा संबंधित जन जागरण अभियान चलाया गया। अग्नि सुरक्षा हेतु अग्निशमन उपकरणों का रखरखाव, उपकरणों का प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल/एवैक्यूशन एवं अग्नि सुरक्षा उपाय का प्रचार प्रसार हेतु पंपलेट का वितरण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है –

1. किसान सहकारी शुगर मिल कोटद्वार रोड नजीबाबाद
2. ग्राम चंदनपुरा नई बस्ती कोटद्वार रोड नजीबाबाद
3. वी मार्ट हरिद्वार रोड नजीबाबाद
4. ग्राम रोशनपुर प्रताप थाना कोतवाली देहात
5. ग्राम कालाखेड़ी थाना नगीना
6. ग्राम भुरापुर थाना नगीना
7. ग्राम पटपडा थाना नगीना
8. स्मार्ट शॉपिंग प्वाइंट धामपुर रोड नगीना
9. सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल बिजनौर
10. अरविंद फिलिंग स्टेशन हल्दौर रोड चांदपुर
11. ग्राम खेड़की नेहटोर रोड चाँदपुर
12. ग्राम बाबरपुर नेहटोर रोड चांदपुर
13. यूको बैंक स्टेशन रोड धामपुर
14. प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक स्टेशन रोड धामपुर
15. जैन फिलिंग स्टेशन धामपुर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना बढ़ापुर दिनांक – 16.04.2025

थाना बढ़ापुर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी किया गया सरिया व मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.04.2025 को वादी श्री शाहनू आलम पुत्र शौकत निवासी ग्राम नादेही जसपुर ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि ग्राम शाहनगर कुराली में वादी के राईस मिल से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 02 लोहे के बंडल व 18 पिलर लोहे के कालम चोरी कर लिये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 52/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 16.04.2025 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त भगवान उर्फ भवानी पुत्र भोला सिंह निवासी ग्राम भोगपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर को चोरी किये गये 48 सरिया के टुकडे (लम्बाई करीब 6-7 फीट व 72 रिंग लोहा) एवं थाना बढापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 249/24 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी गयी मोटरसाइकिल सं0 UP 20 AW 9345 सुपर स्पेलण्डर प्लस रंग काला के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का एक अन्य साथी मौका पाकर फरार हो गया। गिरफ्तारी एंव बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

गिरफ्तार अभियुक्त भगवान उर्फ भवानी उपरोक्त ने पूछताछ से बताया कि उसने अपने साथी बन्टी पुत्र बूटा सिंह निवासी मदपुरी थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर के साथ मिलकर तीन दिन पहले रात्रि में ग्राम शाहनगर कुराली के पास बन रहे राईस मिल के अधबने पीलरों में खड़े सरियों को आरी के ब्लेड़ से काटकर चोरी कर जंगल में छिपा दिया था। इसके अतिरिक्त उसने कई महीने पहले बढ़ापुर के साप्ताहिक बाजार से एक मोटरसाइकिल नं0 UP20AW9345 सुपर स्पेलेंडर (बरामद) चोरी की थी तथा एक मोटरसाइकिल UP20K3627 स्पेलेंडर प्लस रंग काला को ग्राम जाफरपुर में एक मकान से करीब तीन महीने पहले चोरी किया था, जिसे राह चलते व्यक्ति को ₹ 5000 /- में बेच दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

भगवान उर्फ भवानी पुत्र भोला सिंह निवासी ग्राम भोगपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर

वांछित अभियुक्त का नाम व पता –

बन्टी पुत्र बूटा सिंह निवासी मदपुरी थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

1.चोरी किये गये सरिये में से 48 सरिया के टुकडे (लम्बाई करीब 6-7 फीट व 72 रिंग लोहा)

2.चोरी की गयी मोटरसाइकिल नंबर UP20AW9345 सुपर स्पेलेंडर रंग काला/सफेद

अभियुक्त भगवान उर्फ भवानी का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 587/03 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 533/03 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बढापुर जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 42/03 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना बढापुर जनपद बिजनौर
4.मु0अ0सं0 519/05 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
5.मु0अ0सं0 459/05 धारा 392/411 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
6.मु0अ0सं0 235/05 धारा 3(1) उ0प्र0गुण्डा अधि0 थाना बढापुर जनपद बिजनौर
7.मु0अ0सं0 34/14 धारा 392/504/506/411 भादवि थाना काला दुंगी नैनीताल उत्तराखण्ड
8.मु0अ0सं0 170/14 धारा 3(1) उ0प्र0गुण्डा अधि0 थाना बढापुर जनपद बिजनौर
9.मु0अ0सं0 114/20 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर
10.मु0अ0सं0 79/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
11.मु0अ0सं0 249/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बढापुर जनपद बिजनौर
12.मु0अ0सं0 06/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना बढापुर जनपद बिजनौर
13.मु0अ0सं0 52/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बढापुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री विनोद कुमार, थाना बढापुर जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री अजय कुमार, थाना बढापुर जनपद बिजनौर
3.हे0का0 507 प्रविन्द्र कुमार, थाना बढापुर जनपद बिजनौर
4.का0 86 रोहित चौधरी, थाना बढापुर जनपद बिजनौर
5.का0 1140 अंकित यादव, थाना बढापुर जनपद बिजनौर
6.का0 2257 पीयूष कुमार, थाना बढापुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर   दिनांक – 16.04.2025

थाना मंडावर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 15.04.2025 को समय करीब 03.15 बजे प्रातः थाना मंडावर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मौ0 शाहविलायत के अलीजा बैंकट हॉल मे एक व्यक्ति को गोली लग गयी है। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर सौरभ (उम्र 19 वर्ष) पुत्र अनिल निवासी मोहल्ला शाहविलायत कस्बा व थाना मंडावर जनपद बिजनौर को पीठ में गोली लगने से घायल पाया गया, जिसे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल बिजनौर भेजा गया।

पुलिस द्वारा चेक की गयी वीडियो फुटेज से यह स्पष्ट हुआ कि सौरभ उपरोक्त बारात में नाचते समय अपनी पैंट में पीठ की ओर तमंचा लगाए हुए दिखाई दे रहा है, उसी दौरान पैंट से तमंचा निकालते समय गोली चल गई।

कार्यवाही –

थाना मंडावर पुलिस द्वारा अभियुक्त सौरभ पुत्र अनिल कुमार निवासी मौ0 शाहविलायत थाना मंडावर जनपद बिजनौर को पुलिस हिरासत मे लेकर अभियुक्त सौरभ की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 12 बोर व 01 खोखा कारतूस बरामद किया गया। इस सम्बंध में थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 65/25 धारा 9(1)ए(1)/25(2) आर्म्स एक्ट बनाम सौरभ उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सौरभ पुत्र अनिल कुमार निवासी मौ0 शाहविलायत थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध तमंचा 12 बोर व 01 खोखा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री मैन कुमार थाना मण्डावर बिजनौर

2.उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह थाना मण्डावर बिजनौर

3.हे0का0 401 दीपक राणा थाना मण्डावर बिजनौर

4.हे0का0 511 अश्वनी थाना मण्डावर बिजनौर

5.का0 2132 साकेत भाटी थाना मण्डावर बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक– 16.04.2025**

सर्विलांस टीम व थाना चांदपुर पुलिस ने मफरूर घोषित व 25000/- रुपये के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.12.2020 को वादी साहब सिंह पुत्र वरियाम सिंह ग्राम मीरापुर सीकरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 11.12.2020 को अभियुक्तगण 1.मक्खन सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी ग्राम शेरो जनपद तरनतारन (पंजाब) 2.सुखविन्दर उर्फ सुखा पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम जमालुद्दीनपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 3.नीरज पुत्र डोला निवासी ग्राम नारनौर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 4.बलकार सिंह पुत्र भान सिंह उर्फ सुखदेव सिंह निवासी पंजाब 5.कोशिन्दर पुत्र मंगू निवासी ग्राम गावडी थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ 6.दिलबाग पुत्र जसवंत निवासी ग्राम पुलाव थाना भिक्कीभिंड जनपद पंजाब द्वारा वादी के भाई मुख्तियार पुत्र वरियाम सिंह निवासी ग्राम मीरापुर सीकरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर की खेत से वापिस आते समय रायपुर नर्सरी के पास गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 703/2020 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग मे धारा 120बी/147/148/149/307/34 भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही:-

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त बलकार सिंह पुत्र भान सिंह उर्फ सुखदेव सिंह निवासी ग्राम सहीद थाना पट्टी जनपद तरणतारण (पंजाब) को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

नोट- थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में 1.मक्खन सिंह 2. सुखविन्दर उर्फ सुखा 3.नीरज पुत्र डोला 4. दिलबाग 5.कोशिन्दर को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा दिनांक 16.08.2023 को अभियुक्त बलकार सिंह उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा 25000/- रुपये का ईनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

बलकार सिंह पुत्र भान सिंह उर्फ सुखदेव सिंह निवासी ग्राम सहीद थाना पट्टी जनपद तरणतारण (पंजाब)

अभियुक्त बलकार सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 95/22 धारा 174ए भादवि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0स0 703/20 धारा 302/120बी/147/148/149/307/34 भादवि थाना चादपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.थाना प्रभारी संजय कुमार तोमर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.निरी0 राजेश बेसला क्राईम ब्रांच जनपद बिजनौर

3.प्रभारी सर्विलांस सैल मय टीम जनपद बिजनौर

4.उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

5.हे0का0 494 विपिन कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

6.का0 1813 आदित्य मलिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर